



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2019/चैत्र 12, 1941

No. 118]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2019/CHAITRA 12, 1941

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

फा. सं. एनसीटीई-रेगु./011/80/2018-यूएस(रेगुलेशन)-एचक्यू.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में पुनः संशोधन करते हुए परिषद एतद्वारा निम्न विनियम अधिसूचित करती है:—

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन :

- (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम 2019 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में (मान्यता मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014, परिशिष्ट 16 तथा 17 के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट सम्मिलित होंगे, जैसे :

“परिशिष्ट-16

पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक

(कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग)

चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम हेतु मानक तथा मानदंड

1. प्रस्तावना

1.1 कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) उच्च माध्यमिक (+2) के बाद किया जाता है तथा इसका उद्देश्य प्रतिबद्ध, उत्तरदायी और व्यावसायिक अध्यापकों को तैयार करना है। इस कार्यक्रम में अध्यापक तैयार करने हेतु शिक्षा शास्त्र का अन्तर्गण निहित है। इस चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम की पाठ्यचर्या को अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह एक विशेषीकृत पाठ्यक्रम है जिसमें शिक्षण शास्त्र तथा विद्यालय शिक्षण के कार्यों एवं कार्यविधियों से संबंधित प्रायोगिकी का आंतरिक एकीकरण है तथा इसमें ज्ञान के स्वतंत्र विषयों तथा शिक्षा के क्षेत्र के साथ मजबूती से संलग्न होने की प्रक्रिया सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अध्यापकों को ऊर्ध्व प्रगति पथ पर अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम में सामान्य अध्ययन विषयों का एकीकरण किया गया है, जिसमें गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी को शामिल किया गया है और इसके अलावा, व्यावसायिक अध्ययन विषयों को शिक्षा में सम्मिलित किया गया, साथ ही शिक्षा के अन्य मुख्य पाठ्यक्रम, स्कूली विषयों की पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र संबंधी विषय एवं स्कूल अध्यापक के कार्यों व गतिविधियों से संबंधित प्रायोगिकी को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत सिद्धांत और अभ्यास में संतुलन बनाये रखना है तथा इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को मिलाकर उनमें एकीकरण सुनिश्चित किया जाता है। इससे अपेक्षा की जाती है कि एक प्रभावशाली स्कूल अध्यापक बनने की चुनौतियों का सामना करने के लिए अध्यापक में आवश्यक अभिरुचि, कार्यकौशल तथा ज्ञान विकसित किया जाए, ताकि वह एक सफल एवं प्रेरक स्कूल अध्यापक बन सके।

1.2 एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) बहु-विषयी तथा अन्तर्विषयी शैक्षिक वातावरण में संचालित किया जाएगा। जिसका तात्पर्य एक विधिवत् मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्था से है, जो स्वतंत्र कला अथवा मानविकी या सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य अथवा गणित विषयों से संबंधित क्षेत्र में अध्ययन सम्बन्धी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हों।

1.3 आवेदन पत्रों को आमंत्रित करने और उन पर कार्रवाई करने हेतु समय सीमा का निर्धारण प्रमुख विनियम के विनियम 5 के उप-विनियम (5) तथा (6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार होगा: यदि आवश्यक समझा गया तो विनियम 5 के उप-विनियम (5) तथा (6) में दी गयी समय-सीमा को सम्यक रूप से विचार करने और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात इसमें छूट दी जा सकती है।

2. अवधि और कार्यदिवस:

2.1 अवधि:

एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (कला तथा विज्ञान वर्ग) की अवधि इन्टर्शिप (क्षेत्र-आधारित अनुभव तथा अध्यापन अभ्यास) सहित चार शैक्षणिक वर्ष की होगी जिसमें आठ सेमेस्टर होंगे। यदि कोई छात्र-शिक्षक कोई सेमेस्टर पूरा करने में असमर्थ रहता है, अथवा किसी सेमेस्टर-समाप्ति वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया हो, तो उसे इस कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दी जा सकेगी।

2.2 कार्य दिवस:

(क) एक सेमेस्टर में परीक्षा तथा प्रवेश अवधि को छोड़कर तथा परीक्षा अवधि सहित कम से कम 125 (एक सौ पच्चीस) कार्यदिवस होंगे।

(ख) एक सप्ताह के अन्तर्गत कुल कार्य घंटे न्यूनतम 40 (चालीस) घंटे होंगे।

(ग) सभी पाठ्यक्रमों में छात्र-शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति अस्सी प्रतिशत होगी तथा क्षेत्र-आधारित अनुभव अथवा स्कूल प्रशिक्षुता अथवा शिक्षण प्रायोगिकी के लिए अलग से नब्बे प्रतिशत होगी।

3. छात्र प्रवेश संख्या, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क:

3.1 छात्र प्रवेश संख्या:

(क) प्रत्येक कार्यक्रम में पचास छात्र-शिक्षकों की एक आधारभूत इकाई होगी।

(ख) संस्थान को कला अथवा विज्ञान वर्ग में से एक अथवा दोनों इकाई चुनने की अनुमति होगी, यदि वह संस्थान एक से अधिक इकाई लेने का पात्र हो।

3.2 पात्रता:

(क) औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को किसी 'स्कूल' से उच्चतर माध्यमिक अथवा +2 परीक्षा अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए, जैसा कि शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 के खंड (एन) में परिभाषित हैं, वे ही प्रवेश के पात्र हैं।

(ख) उच्च माध्यमिक अथवा +2 परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य वर्गों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित राज्य के नियमों के आधार पर जहाँ भी लागू होगा, अंक प्रतिशतता में छूट दी जाएगी।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया:

(क) प्रवेश उच्च माध्यमिक अथवा +2 स्तर अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा किसी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट बनाकर विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया द्वारा होगा।

(ख) इस कार्यक्रम में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को बी.ए. अथवा बी.एससी. उपाधि प्राप्त करने हेतु लिए गए विषय को दर्शाना होगा। प्रवेश मैरिट के क्रमानुसार तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। विषयों के चयन में परिवर्तन कार्यक्रम के शुरु होने की तिथि से एक महीने के भीतर किया जाएगा।

3.4 शुल्क:

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो संबद्धकारी संस्था अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) (अध्ययन शुल्क और अन्य शुल्क से संबंधित विनियम जिसे गैर-सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क, हेतु दिशा-निर्देश) विनियम 2002 में किए गए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित हो तथा छात्रों से किसी प्रकार का उपदान, अतिरिक्त शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा।

4. पाठ्यचर्या तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन:

पाठ्यचर्या तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनसीटीई द्वारा तैयार पाठ्यचर्या के प्रारूप के आधार पर होगा। तथापि, इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों या संस्थानों को 30% तक की छूट होगी कि वे कार्यक्रम के संचालन के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार इस पाठ्यचर्या के प्रारूप को अपना सकते हैं अथवा इसमें संशोधन कर सकते हैं। किन्तु इस प्रकार रूपान्तरित अथवा आवश्यकतानुसार किसी स्तर पर संशोधित पाठ्यचर्या में किसी प्रकार के परिवर्तन को वैधित करने का अधिकार एनसीटीई के पास सुरक्षित है।

5. स्टाफ:**5.1 संकाय:**

पचास छात्रों की एक आधारभूत इकाई और एक सौ छात्रों की दो इकाइयों के प्रवेश के लिए संकाय की नियुक्ति पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्रों में की जाएगी, जिनके पास आवश्यक एवं वांछित शैक्षिक योग्यताएं होंगी तथा विषय के अन्तर्गत विशेषज्ञता प्राप्त होगी। अतिरिक्त संकाय की नियुक्ति इस प्रावधान के आधार पर की जाएगी कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्रों के लिए विवरणानुसार क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुकूल हो।

विभिन्न पाठ्यक्रम वाले क्षेत्रों में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी (पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक) के एक और दो इकाइयों के लिए विज्ञान वर्ग हेतु न्यूनतम संकाय का विभाजन निम्न प्रकार से होगा:

क्र.सं.	पद	एक इकाई के लिए	दो इकाइयों के लिए
1.	शिक्षा में प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक में विभागाध्यक्ष	एक	एक
2	स्वतंत्र (लिबरल) विषय तथा शिक्षाशास्त्र अथवा शैक्षिक अध्ययन में -एसिस्टेंट प्रोफेसर	(i) गणित-एक (ii) भौतिक विज्ञान-एक (iii) रसायन विज्ञान-एक (iv) जीवविज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविक विज्ञान-एक (v) वनस्पति विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविक विज्ञान-एक (vi) अंग्रेजी में अभिव्यक्तिशील कौशल -एक (vii) आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा शास्त्रीय भाषाओं में अभिव्यक्तिशील कौशल-एक (viii) शैक्षिक अध्ययन-दो	(i) गणित-दो (ii) भौतिक विज्ञान-दो (iii) रसायन विज्ञान-दो (iv) जीवविज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविक विज्ञान-दो (v) वनस्पति विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविक विज्ञान-दो (vi) अंग्रेजी में अभिव्यक्तिशील कौशल -एक (vii) आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा शास्त्रीय भाषाओं में अभिव्यक्तिशील कौशल -एक (viii) शैक्षिक अध्ययन-तीन
3	स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालीन)	एक (अंशकालीन)
4	कला शिक्षा	एक (अंशकालीन)	एक (अंशकालीन)
5	कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श	एक सलाहकार (अंशकालीन)	एक सलाहकार (अंशकालीन)

विभिन्न पाठ्यक्रम वाले क्षेत्रों में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी (पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक) कला वर्ग की एक इकाई और दो इकाइयों संबंधी संकाय का विभाजन निम्नलिखित रूप से होगा:

क्र.सं.	पद	एक इकाई के लिए	दो इकाइयों के लिए
1.	शिक्षा में प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक में विभागाध्यक्ष	एक	एक
2	स्वतंत्र (लिबरल) विषय तथा शिक्षाशास्त्र अथवा शैक्षिक अध्ययन में -एसिस्टेंट प्रोफेसर	आठ (i) इतिहास—एक (ii) भूगोल—एक (iii) राजनीति विज्ञान— एक (iv) अर्थशास्त्र—एक (v) अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा आधुनिक भारतीय भाषाएं—एक (vi) अंग्रेजी में अभिव्यक्तिशील कौशल—एक (vii) आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा शास्त्रीय भाषाओं में अभिव्यक्तिशील कौशल (viii) शैक्षिक अध्ययन—दो	चौदह (i) इतिहास—दो (ii) भूगोल—दो (iii) राजनीति विज्ञान—दो (iv) अर्थशास्त्र—दो (v) अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा आधुनिक भारतीय भाषाएं—दो (vi) अंग्रेजी में अभिव्यक्तिशील कौशल —एक (vii) आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा शास्त्रीय भाषाओं में अभिव्यक्तिशील कौशल (viii) शैक्षिक अध्ययन—तीन
3	स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालीन)	एक (अंशकालीन)
4	कला शिक्षा	एक (अंशकालीन)	एक (अंशकालीन)
5	कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श	एक सलाहकार (अंशकालीन)	एक सलाहकार (अंशकालीन)

दो से अधिक अतिरिक्त इकाइयों के लिए संकाय की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:-

- (i) (क) तीन इकाइयों के लिए, संकाय की उपयुक्त संख्या तक वृद्धि की जाएगी, जैसा कि एकल इकाई के लिए (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) निर्धारित है।
(ख) चार इकाइयों के लिए संकाय की आवश्यकता दो इकाइयों की संकाय संख्या के एकदम दोगुनी होती है। (विभागाध्यक्ष को छोड़कर)
- (ii) उपरोक्त संख्या इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रमुख संकाय की न्यूनतम संख्या है। तथापि, संस्थान में मौजूदा संकाय की सेवाओं का उपयोग भी इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है, यदि उसके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता हो। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम हेतु न्यूनतम संख्या से अधिक अतिरिक्त संकाय की नियुक्ति इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक संख्या में की जा सकती है।
- (iii) यदि संस्थान में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पद उपलब्ध हों तो वे अध्यापक एक दूसरे से भागीदारी कर सकते हैं, अन्यथा अंशकालिक आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
- (iv) इस प्रयोजन से नियुक्त काउंसलर या तो शिक्षा संबंधी एसिस्टेंट प्रोफेसर होगा जिसके पास एम.एड. में एक प्रश्न पत्र के रूप में मार्गदर्शन एवं काउंसलिंग का अनुभव प्राप्त हो अथवा मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा में उपयुक्त शैक्षिक योग्यता के साथ अंशकालिक परामर्शदाता का अनुभव हो।

5.2 योग्यताएं:

संकाय के पास निम्नलिखित योग्यताएं होंगी:-

क. शिक्षा में प्रोफेसर अथवा शिक्षा में एसोसिएट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष के रूप में):

- (i) विज्ञान अथवा गणित अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य अथवा भाषाओं में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (ii) एम.एड.।
- (iii) शिक्षा में पीएच.डी।

- (iv) किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर के लिए दस वर्ष तथा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव।
 (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन पद-श्रेणियों के लिए निर्धारित कोई अन्य सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता।

वांछनीय:

शैक्षिक प्रशासन अथवा मार्गदर्शन में डिप्लोमा अथवा उपाधि

ख. स्वतंत्र (लिबरल) विषय तथा शिक्षाशास्त्र में ऐसिस्टेंट प्रोफेसर:

(i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान अथवा जीव विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविकी विज्ञान) अथवा गणित अथवा सामाजिक विज्ञान (इतिहास अथवा भूगोल अथवा राजनीति विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र) अथवा भाषाओं (अंग्रेजी अथवा आधुनिक भारतीय भाषाएं अथवा शास्त्रीय भाषाएं) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) बी.एड. की उपाधि जिसमें न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक हों अथवा समकक्ष ग्रेड हो।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन पद-श्रेणियों के लिए निर्धारित संबंधित विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा राज्य-स्तरीय पात्रता परीक्षा अथवा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी।

वांछनीय:

(i) एम.एड. अथवा प्राथमिक शिक्षा में विशेषज्ञता सहित एम.एड.।

(ii) शिक्षा में पीएच.डी।

ग. शैक्षिक अध्ययन में ऐसिस्टेंट प्रोफेसर:

(i) शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड.), जिसमें न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक हों अथवा समकक्ष ग्रेड हो।

(ii) शिक्षा में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा राज्य-स्तरीय पात्रता परीक्षा अथवा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन पद-श्रेणियों के लिए निर्धारित कोई अन्य योग्यता।

वांछनीय:

(i) मनोविज्ञान अथवा दर्शनशास्त्र अथवा समाज-शास्त्र अथवा इनसे संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि।

घ. विशिष्ट पाठ्यक्रम:**शारीरिक शिक्षा:**

(i) शारीरिक शिक्षा (एम.पी.एड.) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सहित स्नातकोत्तर।

कला शिक्षा:

(i) निष्पादन अथवा दृश्य कला में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

5.3 प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्टाफ:

(क) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष — एक

(ख) कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहायक — एक

(ग) डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ) — एक

(घ) बहु-कार्य स्टाफ(एमटीएस) — एक

(ङ) मौजूदा विभागों के लिए कार्यरत अन्य प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्टाफ की भागीदारी की जाएगी।

टिप्पणी:

- उपरोक्त समस्त स्टाफ की भागीदारी मौजूदा पाठ्यक्रमों के साथ की जा सकती है।
- समकक्ष पदों के लिए राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध संस्था द्वारा शैक्षिक योग्यताओं का निर्धारण किया जाएगा।

5.4 सेवा कर्मियों से संबंधित सेवा-शर्तें: अध्यापन तथा गैर-अध्यापन वाले स्टाफ की सेवा शर्तें, जिसमें चयन प्रक्रिया, वेतन संरचना स्तर, सेवा-निवृत्ति की आयु तथा अन्य लाभ केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संबद्ध संस्था अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार निर्धारित होंगे।

6. बुनियादी सुविधाएं:

एक इकाई के लिए निम्नलिखित सुविधाएं सुलभ होंगी, किन्तु प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए सुविधाओं में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी—

6.1 भूमि और भवन:

(क) एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करने वाले किसी भी संस्थान के पास न्यूनतम आवश्यक स्थल होगा जिसमें एक प्रशासनिक खण्ड, एक शैक्षणिक खण्ड तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। ये सभी स्थल विशिष्ट सुविधायुक्त होंगे और आने-जाने की निर्बाध सुविधा उपलब्ध होगी।

(ख) संस्थान के पास प्रारंभिक पचास प्रविष्ट छात्रों के लिए 3000 वर्ग मीटर (तीन हजार वर्ग मीटर) भूमि उपलब्ध होगी तथा 2,000 वर्ग मीटर (दो हजार वर्ग मीटर) भूमि में निर्मित भवन क्षेत्र होगा एवं शेष भूमि मैदान, क्रीड़ा क्षेत्र आदि के लिए होगी।

(ग) पचास छात्रों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए 200 वर्ग मीटर (दो सौ वर्ग मीटर) भूमि का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र निर्धारित होगा।

(घ.) संस्थान द्वारा न्यूनतम चार शौचालयों की व्यवस्था निर्धारित होगी, दो छात्रों के लिए (महिला और पुरुषों के लिए एक-एक) तथा दो स्टाफ सदस्यों के लिए होंगे, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं। खुले स्थान पर एक सामान्य हस्तप्रक्षालन स्थल होगा जिसमें चार नल खुले स्थल पर दिए जाएंगे।

6.2 अनुदेशात्मक सुविधाएं:

(क) **क्लासरूम:** संस्थान में एक इकाई के लिए छः क्लासरूम निर्धारित होंगे, जिनका क्षेत्र 50 वर्ग मीटर (पचास वर्ग मीटर) प्रति क्लासरूम का हो और दो या अधिक इकाइयों के लिए आनुपातिक हिसाब से कक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।

(ख) पुस्तकालय:

(i) पुस्तकालय ऐसा होगा जिसमें इस कार्यक्रम से संबंधी अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा जिसमें कम से कम पचास व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था होगी एवं कम से कम 1000 (एक हजार) शीर्षक व 4000 (चार हजार) पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इसमें ऐसी पाठ्यपुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं जो समस्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन से संबंधित हों तथा पढ़ने योग्य साहित्य उपलब्ध हो जो इस कार्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, इसमें शैक्षिक विश्वकोश, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडीरोम) तथा डिजिटल अथवा ऑनलाइन संसाधनों की पूरी व्यवस्था हो तथा न्यूनतम पांच संदर्भित व्यावसायिक अनुसंधान पत्र-पत्रिकाएं भी उपलब्ध होंगी। संस्थानों को डिजिटल पुस्तकालय बनाने होंगे जिसमें उपयुक्त संसाधन सामग्री मौजूद हो।

(ii) पुस्तकालय संसाधनों में पुस्तकें और प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं शामिल होंगी, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य सांविधिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित व संस्तुत किया गया हो। पुस्तकालय में शिक्षा आयोग की रिपोर्टें और नीति संबंधी दस्तावेज भी मौजूद होंगे। प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय में कम से कम एक सौ शीर्षकों वाली बढ़िया पुस्तकें सुलभ करानी होंगी। पुस्तकालय में फोटोकॉपी और कम्प्यूटर की पूरी सुविधा होगी जिसमें इंटरनेट सुविधा भी शामिल है और वह संकाय एवं छात्रों के लिए उपयोगी हो।

(ग) **प्रयोगशालाएं:** विज्ञान वर्ग के विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव-विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के लिए प्रयोगशालाएं होंगी जिनमें पूर्ण सुविधाओं सहित यानि उपयुक्त उपकरण एवं प्रयोग संबंधी पूरी सामग्री उपलब्ध होगी। मानविकी वर्ग में भूगोल के लिए एक प्रयोगशाला उपलब्ध करानी होगी।

(घ) कार्यकलाप एवं संसाधन केन्द्र:

(i) इस प्रयोजन से बनाए गये स्थल का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों को संपन्न करने के लिए किया जाएगा जैसे शिल्पकला, शैक्षिक खिलौने, अध्यापन संबंधी सहायता तथा अध्यापन एवं शिक्षण सामग्री तैयार करना आदि।

(ii) इस संसाधन केन्द्र में हर प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे फोटो कॉपी मशीन, दृश्य-श्रव्य उपकरण, टीवी, प्रोजेक्टर आदि।

(iii) इस केन्द्र में एक कम्प्यूटर तथा भाषा प्रयोगशाला स्थापित होगी।

(च) **स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कक्ष:** सामान्य अन्तरिक एवं बाहरी खेलों के लिए पूरी व्यवस्था एवं उपकरण, सामग्री उपलब्ध होगी तथा योग शिक्षा से संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

(छ) **बहु-प्रयोजनीय हॉल:** संस्थान में एक ऐसा सम्मेलन कक्ष उपलब्ध होगा जिसमें लोगों के लिए कम से कम दो सौ सीटों की व्यवस्था हो और इसका कुल क्षेत्रफल कम से कम 2000 वर्ग फीट (दो हजार वर्ग फीट) होगा। इस हॉल में सम्मेलन और कार्यशालाएं आदि आयोजित करने की पूरी व्यवस्था मौजूद होगी जिसमें दृश्य-श्रव्य प्रणाली भी उपलब्ध होगी।

- (ज) **संकाय कक्ष:** संकाय के लिए हर व्यक्ति हेतु कार्यस्थल, प्रायोगिक कम्प्यूटर तथा संचयन स्थल भी दिया जाएगा।
- (झ) **प्रशासनिक कार्यालय स्थल:** संस्थान में कार्यलय स्टाफ के लिए उपयुक्त कार्यस्थल की व्यवस्था हो जिसमें फर्नीचर, भंडारण तथा कम्प्यूटर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- (ट) **कॉमन रूम:** संस्थान में कम से कम एक कॉमन रूम की व्यवस्था होगी।
- (ठ) **भंडार:** भंडारण के लिए एक अलग कमरे की उचित व्यवस्था होगी।
- (ड) सामान्य एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपेक्षित संख्या में उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था होगी, जो शिक्षण एवं अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होगा।
- (ढ) संस्थान में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो।
- (ण) परिसर को नियमित रूप से साफ-सुथरा रखने के लिए सफाई की कारगर व्यवस्था होगी, जिसमें पानी तथा शौचालय सुविधाएं, फर्नीचर और अन्य उपकरणों व सामग्री की मरम्मत एवं बदलने की सुविधाएं मौजूद हों।
- (त) संस्थान में छात्र-अध्यापकों के लिए शाक-वाटिका भी निर्मित करनी होगी, जिसका उचित रखरखाव छात्र-अध्यापकों द्वारा किया जाय जहां अवधारणाओं को सीखा जा सके तथा इसका उपयोग शिक्षण कार्यों में होगा।
- 6.3 विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज के अन्य विभागों में उपलब्ध क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, कार्यकलाप तथा संसाधन केन्द्र एवं बहु-प्रयोजनी हॉल जो निर्धारित होंगे, इन्हें छोड़कर मौजूदा अन्य भौतिक संसाधनों की भागीदारी इस कार्यक्रम के लिए की जा सकती है, यदि इससे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति होती हो।

वांछनीय:

- (क) वांछनीय रूप से वर्षा-जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा की बुनियादी सुविधा जैसे बिजली के लिए सोलर पैनल आदि अपेक्षित है।
- (ख) वैकल्पिक शिक्षण तंत्र कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं।

6.4 संस्थान को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

टिप्पणी: उपरोक्त सुविधाएं न्यूनतम आवश्यकता वाली सुविधाएं मानी जाती हैं तथा संस्थानों को उक्त पैरा 6.2 से 6.4 में निर्दिष्ट अधिक से अधिक सुविधाएं जुटानी होंगी।

7. **प्रबन्धन समिति:** संस्थान में एक प्रबन्धन समिति होगी जो संबद्धकारी विश्वविद्यालय अथवा संबंधित राज्य सरकार, यदि कोई हो, के नियमानुसार गठित की जाएगी। ऐसे नियमों के न होने पर संस्थान स्वयं प्रबन्धन समिति का गठन करेगा। इस समिति में परियोजक सोसायटी अथवा न्यास के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद, संबद्धकारी विश्वविद्यालय एवं स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- 7 (क) इस विनियम के अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तर में किसी प्रकार का विवाद या असंगति होने की स्थिति में विनियम का अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

परिशिष्ट-17

उच्च-प्राथमिक से माध्यमिक

(कला तथा विज्ञान वर्ग)

चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम हेतु मानक तथा मानदंड

8. प्रस्तावना

- 1.1 कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) उच्च माध्यमिक (+2) के बाद किया जाता है तथा इसका उद्देश्य प्रतिबद्ध, उत्तरदायी और व्यावसायिक अध्यापकों को तैयार करना है। इस कार्यक्रम में अध्यापक तैयार करने हेतु शिक्षा शास्त्र का अन्तरण निहित है। इस चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम की पाठ्यचर्या को अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह एक विशेषीकृत पाठ्यक्रम है जिसमें शिक्षण शास्त्र तथा विद्यालय शिक्षण के कार्यों एवं कार्यविधियों से संबंधित प्रायोगिकी का आंतरिक एकीकरण है तथा इसमें ज्ञान के स्वतंत्र विषयों तथा शिक्षा के क्षेत्र के साथ मजबूती से संलग्न होने की प्रक्रिया सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अध्यापकों को ऊर्ध्व प्रगति पथ पर अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम में सामान्य अध्ययन विषयों का एकीकरण किया गया है, जिसमें गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी को शामिल किया गया है और इसके अलावा, व्यावसायिक अध्ययन विषयों को शिक्षा में सम्मिलित किया गया, साथ ही शिक्षा के अन्य मुख्य पाठ्यक्रम, स्कूली विषयों की पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र संबंधी विषय एवं स्कूल अध्यापक के कार्यों व गतिविधियों से संबंधित प्रायोगिकी को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत सिद्धांत और अभ्यास में संतुलन बनाये रखना है तथा इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को मिलाकर उनमें एकीकरण सुनिश्चित किया जाता है। इससे

अपेक्षा की जाती है कि एक प्रभावशाली स्कूल अध्यापक बनने की चुनौतियों का सामना करने के लिए अध्यापक में आवश्यक अभिरुचि, कार्यकौशल तथा ज्ञान विकसित किया जाए, ताकि वह एक सफल एवं प्रेरक स्कूल अध्यापक बन सके।

- 1.2 एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) बहु-विषयी तथा अन्तर्विषयी शैक्षिक वातावरण में संचालित किया जाएगा। जिसका तात्पर्य एक विधिवत् मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्था से है, जो स्वतंत्र कला अथवा मानविकी या सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य अथवा गणित विषयों से संबंधित क्षेत्र में अध्ययन सम्बन्धी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हों।
- 1.3 आवेदन पत्रों को आमंत्रित करने और उन पर कार्रवाई करने हेतु समय सीमा का निर्धारण प्रमुख विनियम के विनियम 5 के उप-विनियम (5) तथा (6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार होगा: यदि आवश्यक समझा गया तो विनियम 5 के उप-विनियम (5) तथा (6) में दी गयी समय-सीमा को सम्यक रूप से विचार करने और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात इसमें छूट दी जा सकती है।

2. अवधि और कार्यदिवस:

2.1 अवधि:

एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (कला तथा विज्ञान वर्ग) की अवधि इन्टर्नशिप (क्षेत्र-आधारित अनुभव तथा अध्यापन अभ्यास) सहित चार शैक्षणिक वर्ष की होगी जिसमें आठ सेमेस्टर होंगे। यदि कोई छात्र-शिक्षक कोई सेमेस्टर पूरा करने में असमर्थ रहता है, अथवा किसी सेमेस्टर-समाप्ति वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया हो, तो उसे इस कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दी जा सकेगी।

2.2 कार्य दिवस:

(क) एक सेमेस्टर में परीक्षा तथा प्रवेश अवधि को छोड़कर तथा परीक्षा अवधि सहित कम से कम 125 (एक सौ पच्चीस) कार्यदिवस होंगे।

(ख) एक सप्ताह के अन्तर्गत कुल कार्य घंटे न्यूनतम 40 (चालीस) घंटे होंगे।

(ग) सभी पाठ्यक्रमों में छात्र-शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति अस्सी प्रतिशत होगी तथा क्षेत्र-आधारित अनुभव अथवा स्कूल प्रशिक्षुता अथवा शिक्षण प्रायोगिकी के लिए अलग से नब्बे प्रतिशत होगी।

3. छात्र प्रवेश संख्या, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क:

3.1 छात्र प्रवेश संख्या:

(क) प्रत्येक कार्यक्रम में पचास छात्र-शिक्षकों की एक आधारभूत इकाई होगी।

(ख) संस्थान को कला अथवा विज्ञान वर्ग में से एक अथवा दोनों इकाई चुनने की अनुमति होगी, यदि वह संस्थान एक से अधिक इकाई लेने का पात्र हो।

3.2 पात्रता:

(क) औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को किसी 'स्कूल' से उच्चतर माध्यमिक अथवा +2 परीक्षा अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए, जैसा कि शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 के खंड (एन) में पारिभाषित हैं, वे ही प्रवेश के पात्र हैं।

(ख) उच्च माध्यमिक अथवा +2 परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य वर्गों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित राज्य के नियमों के आधार पर जहाँ भी लागू होगा, अंक प्रतिशतता में छूट दी जाएगी।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया:

(क) प्रवेश उच्च माध्यमिक अथवा +2 स्तर अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा किसी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट बनाकर विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया द्वारा होगा।

(ख) इस कार्यक्रम में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को बी.ए. अथवा बी.एससी. उपाधि प्राप्त करने हेतु लिए गए विषय को दर्शाना होगा। प्रवेश मैरिट के क्रमानुसार तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। विषयों के चयन में परिवर्तन कार्यक्रम के शुरु होने की तिथि से एक महीने के भीतर किया जाएगा।

3.4 शुल्क:

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो संबद्धकारी संस्था अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) (अध्ययन शुल्क और अन्य शुल्क से संबंधित विनियम जिसे गैर-सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षा

संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क, हेतु दिशा-निर्देश) विनियम 2002 में किए गए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित हो तथा छात्रों से किसी प्रकार का उपदान, अतिरिक्त शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा।

4. पाठ्यचर्या तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन:

पाठ्यचर्या तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनसीटीई द्वारा तैयार पाठ्यचर्या के प्रारूप के आधार पर होगा। तथापि, इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों या संस्थानों को 30% तक की छूट होगी कि वे कार्यक्रम के संचालन के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार इस पाठ्यचर्या के प्रारूप को अपना सकते हैं अथवा इसमें संशोधन कर सकते हैं। किन्तु इस प्रकार रूपान्तरित अथवा आवश्यकतानुसार किसी स्तर पर संशोधित पाठ्यचर्या में किसी प्रकार के परिवर्तन को वैधित करने का अधिकार एनसीटीई के पास सुरक्षित है।

5. स्टाफ:

5.1 संकाय:

पचास छात्रों की एक आधारभूत इकाई और एक सौ छात्रों की दो इकाइयों के प्रवेश के लिए संकाय की नियुक्ति पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्रों में की जाएगी, जिनके पास आवश्यक एवं वांछित शैक्षिक योग्यताएं होंगी तथा विषय के अन्तर्गत विशेषज्ञता प्राप्त होगी। अतिरिक्त संकाय की नियुक्ति इस प्रावधान के आधार पर की जाएगी कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्रों के लिए विवरणानुसार क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुकूल हो।

विभिन्न पाठ्यक्रम वाले क्षेत्रों में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी (उच्च-प्राथमिक से माध्यमिक तक) के एक और दो इकाइयों के लिए विज्ञान वर्ग हेतु न्यूनतम संकाय का विभाजन निम्न प्रकार से होगा:

क्र.सं.	पद	एक इकाई के लिए	दो इकाइयों के लिए
1.	शिक्षा में प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक में विभागाध्यक्ष	एक	एक
2	स्वतंत्र (लिबरल) विषय तथा शिक्षाशास्त्र अथवा शैक्षिक अध्ययन में -एसिस्टेंट प्रोफेसर	(i) गणित-एक (ii) भौतिक विज्ञान-एक (iii) रसायन विज्ञान-एक (iv) जीवविज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविक विज्ञान-एक (v) वनस्पति विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविक विज्ञान-एक (vi) अंग्रेजी में अभिव्यक्तिशील कौशल -एक (vii) आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा शास्त्रीय भाषाओं में अभिव्यक्तिशील कौशल-एक (viii) शैक्षिक अध्ययन-दो	(i) गणित-दो (ii) भौतिक विज्ञान-दो (iii) रसायन विज्ञान-दो (iv) जीवविज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविक विज्ञान-दो (v) वनस्पति विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविक विज्ञान-दो (vi) अंग्रेजी में अभिव्यक्तिशील कौशल -एक (vii) आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा शास्त्रीय भाषाओं में अभिव्यक्तिशील कौशल -एक (viii) शैक्षिक अध्ययन-तीन
3	स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालीन)	एक (अंशकालीन)
4	कला शिक्षा	एक (अंशकालीन)	एक (अंशकालीन)
5	कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श	एक सलाहकार (अंशकालीन)	एक सलाहकार (अंशकालीन)

विभिन्न पाठ्यक्रम वाले क्षेत्रों में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी (उच्च-प्राथमिक से माध्यमिक तक) कला वर्ग की एक इकाई और दो इकाइयों संबंधी संकाय का विभाजन निम्नलिखित रूप से होगा:

क्र.सं.	पद	एक इकाई के लिए	दो इकाइयों के लिए
1.	शिक्षा में प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक में विभागाध्यक्ष	एक	एक

2	स्वतंत्र (लिबरल) विषय तथा शिक्षाशास्त्र अथवा शैक्षिक अध्ययन में—ऐसिस्टेंट प्रोफेसर	आठ (i) इतिहास—एक (ii) भूगोल—एक (iii) राजनीति विज्ञान— एक (iv) अर्थशास्त्र—एक (v) अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा आधुनिक भारतीय भाषाएं—एक (vi) अंग्रेजी में अभिव्यक्तिशील कौशल—एक (vii) आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा शास्त्रीय भाषाओं में अभिव्यक्तिशील कौशल (viii) शैक्षिक अध्ययन—दो	चौदह (i) इतिहास—दो (ii) भूगोल—दो (iii) राजनीति विज्ञान—दो (iv) अर्थशास्त्र—दो (v) अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा आधुनिक भारतीय भाषाएं—दो (vi) अंग्रेजी में अभिव्यक्तिशील कौशल—एक (vii) आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा शास्त्रीय भाषाओं में अभिव्यक्तिशील कौशल (viii) शैक्षिक अध्ययन—तीन
3	स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालीन)	एक (अंशकालीन)
4	कला शिक्षा	एक (अंशकालीन)	एक (अंशकालीन)
5	कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श	एक सलाहकार (अंशकालीन)	एक सलाहकार (अंशकालीन)

दो से अधिक अतिरिक्त इकाइयों के लिए संकाय की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:—

- (i) (क) तीन इकाइयों के लिए, संकाय की उपयुक्त संख्या तक वृद्धि की जाएगी, जैसा कि एकल इकाई के लिए (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) निर्धारित है।
 (ख) चार इकाइयों के लिए संकाय की आवश्यकता दो इकाइयों की संकाय संख्या के एकदम दोगुनी होती है। (विभागाध्यक्ष को छोड़कर)
- (ii) उपरोक्त संख्या इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रमुख संकाय की न्यूनतम संख्या है। तथापि, संस्थान में मौजूदा संकाय की सेवाओं का उपयोग भी इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है, यदि उसके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता हो। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम हेतु न्यूनतम संख्या से अधिक अतिरिक्त संकाय की नियुक्ति इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक संख्या में की जा सकती है।
- (iii) यदि संस्थान में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पद उपलब्ध हों तो वे अध्यापक एक दूसरे से भागीदारी कर सकते हैं, अन्यथा अंशकालिक आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
- (iv) इस प्रयोजन से नियुक्त काउंसलर या तो शिक्षा संबंधी ऐसिस्टेंट प्रोफेसर होगा जिसके पास एम.एड. में एक प्रश्न पत्र के रूप में मार्गदर्शन एवं काउंसलिंग का अनुभव प्राप्त हो अथवा मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा में उपयुक्त शैक्षिक योग्यता के साथ अंशकालिक परामर्शदाता का अनुभव हो।

5.2 योग्यताएं:

संकाय के पास निम्नलिखित योग्यताएं होंगी:—

क. शिक्षा में प्रोफेसर अथवा शिक्षा में ऐसोसिएट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष के रूप में):

- (i) विज्ञान अथवा गणित अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य अथवा भाषाओं में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (ii) एम.एड.।
- (iii) शिक्षा में पीएच.डी।
- (iv) किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर के लिए दस वर्ष तथा ऐसोसिएट प्रोफेसर के लिए आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव।
- (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन पद-श्रेणियों के लिए निर्धारित कोई अन्य सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता।

वांछनीय:

शैक्षिक प्रशासन अथवा मार्गदर्शन में डिप्लोमा अथवा उपाधि

ख. स्वतंत्र (लिबरल) विषय तथा शिक्षाशास्त्र में ऐसिस्टेंट प्रोफेसर:

- (i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान अथवा जीव विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा जैविकी विज्ञान) अथवा गणित अथवा सामाजिक विज्ञान (इतिहास अथवा भूगोल अथवा राजनीति विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र) अथवा भाषाओं (अंग्रेजी अथवा आधुनिक भारतीय भाषाएं अथवा शास्त्रीय भाषाएं) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।
- (ii) बी.एड. की उपाधि जिसमें न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक हों अथवा समकक्ष ग्रेड हो।
- (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन पद-श्रेणियों के लिए निर्धारित संबंधित विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा राज्य-स्तरीय पात्रता परीक्षा अथवा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी।

वांछनीय:

- (i) एम.एड. अथवा प्राथमिक शिक्षा में विशेषज्ञता सहित एम.एड.।
- (ii) शिक्षा में पीएच.डी।

ग. शैक्षिक अध्ययन में ऐसिस्टेंट प्रोफेसर:

- (i) शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड.), जिसमें न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक हों अथवा समकक्ष ग्रेड हो।
- (ii) शिक्षा में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा राज्य-स्तरीय पात्रता परीक्षा अथवा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन पद-श्रेणियों के लिए निर्धारित कोई अन्य योग्यता।

वांछनीय:

- (i) मनोविज्ञान अथवा दर्शनशास्त्र अथवा समाज-शास्त्र अथवा इनसे संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि।

घ. विशिष्ट पाठ्यक्रम:**शारीरिक शिक्षा:**

- (i) शारीरिक शिक्षा (एम.पी.एड.) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सहित स्नातकोत्तर।

कला शिक्षा:

- (i) निष्पादन अथवा दृश्य कला में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

5.3 प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्टाफ:

- | | |
|---|------|
| (क) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | — एक |
| (ख) कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहायक | — एक |
| (ग) डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) | — एक |
| (घ) बहु-कार्य स्टाफ (एमटीएस) | — एक |
| (ङ) मौजूदा विभागों के लिए कार्यरत अन्य प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्टाफ की भागीदारी की जाएगी। | |

टिप्पणी:

1. उपरोक्त समस्त स्टाफ की भागीदारी मौजूदा पाठ्यक्रमों के साथ की जा सकती है।
2. समकक्ष पदों के लिए राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध संस्था द्वारा शैक्षिक योग्यताओं का निर्धारण किया जाएगा।

5.4 सेवा कर्मियों से संबंधित सेवा-शर्तें: अध्यापन तथा गैर-अध्यापन वाले स्टाफ की सेवा शर्तें, जिसमें चयन प्रक्रिया, वेतन संरचना स्तर, सेवा-निवृत्ति की आयु तथा अन्य लाभ केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संबद्ध संस्था अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार निर्धारित होंगे।

6. बुनियादी सुविधाएं:

एक इकाई के लिए निम्नलिखित सुविधाएं सुलभ होंगी, किन्तु प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए सुविधाओं में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी—

6.1 भूमि और भवन:

- (क) एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करने वाले किसी भी संस्थान के पास न्यूनतम आवश्यक स्थल होगा जिसमें एक प्रशासनिक खण्ड, एक शैक्षणिक खण्ड तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। ये सभी स्थल विशिष्ट सुविधायुक्त होंगे और आने-जाने की निर्बाध सुविधा उपलब्ध होगी।

- (ख) संस्थान के पास प्रारंभिक पचास प्रविष्ट छात्रों के लिए 3000 वर्ग मीटर (तीन हजार वर्ग मीटर) भूमि उपलब्ध होगी तथा 2,000 वर्ग मीटर (दो हजार वर्ग मीटर) भूमि में निर्मित भवन क्षेत्र होगा एवं शेष भूमि मैदान, क्रीड़ा क्षेत्र आदि के लिए होगी।
- (ग) पचास छात्रों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए 200 वर्ग मीटर (दो सौ वर्ग मीटर) भूमि का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र निर्धारित होगा।
- (घ) संस्थान द्वारा न्यूनतम चार शौचालयों की व्यवस्था निर्धारित होगी, दो छात्रों के लिए (महिला और पुरुषों के लिए एक-एक) तथा दो स्टाफ सदस्यों के लिए होंगे, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं। खुले स्थान पर एक सामान्य हस्तप्रक्षालन स्थल होगा जिसमें चार नल खुले स्थल पर दिए जाएंगे।

6.2 अनुदेशात्मक सुविधाएं:

- (क) **क्लासरूम:** संस्थान में एक इकाई के लिए छः क्लासरूम निर्धारित होंगे, जिनका क्षेत्र 50 वर्ग मीटर (पचास वर्ग मीटर) प्रति क्लासरूम का हो और दो या अधिक इकाइयों के लिए आनुपातिक हिसाब से कक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।

(ख) पुस्तकालय:

- (i) पुस्तकालय ऐसा होगा जिसमें इस कार्यक्रम से संबंधी अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा जिसमें कम से कम पचास व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था होगी एवं कम से कम 1000 (एक हजार) शीर्षक व 4000 (चार हजार) पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इसमें ऐसी पाठ्यपुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं जो समस्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन से संबंधित हों तथा पढ़ने योग्य साहित्य उपलब्ध हो जो इस कार्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, इसमें शैक्षिक विश्वकोश, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडीरॉम्स) तथा डिजिटल अथवा ऑनलाइन संसाधनों की पूरी व्यवस्था हो तथा न्यूनतम पांच संदर्भित व्यावसायिक अनुसंधान पत्र-पत्रिकाएं भी उपलब्ध होंगी। संस्थानों को डिजिटल पुस्तकालय बनाने होंगे जिसमें उपयुक्त संसाधन सामग्री मौजूद हो।

- (ii) पुस्तकालय संसाधनों में पुस्तकें और प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं शामिल होंगी, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् तथा अन्य सांविधिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित व संस्तुत किया गया हो। पुस्तकालय में शिक्षा आयोग की रिपोर्टें और नीति संबंधी दस्तावेज भी मौजूद होंगे। प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय में कम से कम एक सौ शीर्षकों वाली बढ़िया पुस्तकें सुलभ करानी होंगी। पुस्तकालय में फोटोकॉपी और कम्प्यूटर की पूरी सुविधा होगी जिसमें इंटरनेट सुविधा भी शामिल है और वह संकाय एवं छात्रों के लिए उपयोगी हो।

- (ग) **प्रयोगशालाएं:** विज्ञान वर्ग के विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव-विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के लिए प्रयोगशालाएं होंगी जिनमें पूर्ण सुविधाओं सहित यानि उपयुक्त उपकरण एवं प्रयोग संबंधी पूरी सामग्री उपलब्ध होगी। मानविकी वर्ग में भूगोल के लिए एक प्रयोगशाला उपलब्ध करानी होगी।

(घ) कार्यकलाप एवं संसाधन केन्द्र:

- (i) इस प्रयोजन से बनाए गये स्थल का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों को संपन्न करने के लिए किया जाएगा जैसे शिल्पकला, शैक्षिक खिलौने, अध्यापन संबंधी सहायता तथा अध्यापन एवं शिक्षण सामग्री तैयार करना आदि।
- (ii) इस संसाधन केन्द्र में हर प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे फोटो कॉपी मशीन, दृश्य-श्रव्य उपकरण, टीवी, प्रोजेक्टर आदि।
- (iii) इस केन्द्र में एक कम्प्यूटर तथा भाषा प्रयोगशाला स्थापित होगी।

- (च) **स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कक्ष:** सामान्य अन्तरिक एवं बाहरी खेलों के लिए पूरी व्यवस्था एवं उपकरण, सामग्री उपलब्ध होगी तथा योग शिक्षा से संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

- (छ) **बहु-प्रयोजनीय हॉल:** संस्थान में एक ऐसा सम्मेलन कक्ष उपलब्ध होगा जिसमें लोगों के लिए कम से कम दो सौ सीटों की व्यवस्था हो और इसका कुल क्षेत्रफल कम से कम 2000 वर्ग फीट (दो हजार वर्ग फीट) होगा। इस हॉल में सम्मेलन और कार्यशालाएं आदि आयोजित करने की पूरी व्यवस्था मौजूद होगी जिसमें दृश्य-श्रव्य प्रणाली भी उपलब्ध होगी।

- (ज) **संकाय कक्ष:** संकाय के लिए हर व्यक्ति हेतु कार्यस्थल, प्रायोगिक कम्प्यूटर तथा संचयन स्थल भी दिया जाएगा।

- (झ) **प्रशासनिक कार्यालय स्थल:** संस्थान में कार्यलय स्टाफ के लिए उपयुक्त कार्यस्थल की व्यवस्था हो जिसमें फर्नीचर, भंडारण तथा कम्प्यूटर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

- (ट) **कॉमन रूम:** संस्थान में कम से कम एक कॉमन रूम की व्यवस्था होगी।

- (ठ) **भंडार :** भंडारण के लिए एक अलग कमरे की उचित व्यवस्था होगी।

- (ड) सामान्य एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपेक्षित संख्या में उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था होगी, जो शिक्षण एवं अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होगा।
- (ढ) संस्थान में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो।
- (ण) परिसर को नियमित रूप से साफ-सुथरा रखने के लिए सफाई की कारगर व्यवस्था होगी, जिसमें पानी तथा शौचालय सुविधाएं, फर्नीचर और अन्य उपकरणों व सामग्री की मरम्मत एवं बदलने की सुविधाएं मौजूद हों।
- (त) संस्थान में छात्र-अध्यापकों के लिए शाक-वाटिका भी निर्मित करनी होगी, जिसका उचित रखरखाव छात्र-अध्यापकों द्वारा किया जाय जहां अवधारणाओं को सीखा जा सके तथा इसका उपयोग शिक्षण कार्यों में होगा।

6.3 विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज के अन्य विभागों में उपलब्ध क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, कार्यकलाप तथा संसाधन केन्द्र एवं बहु-प्रयोजनी हॉल जो निर्धारित होंगे, इन्हें छोड़कर मौजूदा अन्य भौतिक संसाधनों की भागीदारी इस कार्यक्रम के लिए की जा सकती है, यदि इससे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति होती हो।

वांछनीय:

- (क) वांछनीय रूप से वर्षा-जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा की बुनियादी सुविधा जैसे बिजली के लिए सोलर पैनल आदि अपेक्षित है।
- (ख) वैकल्पिक शिक्षणोत्तर कार्यकलापों के लिए सुविधाएं।

6.4 संस्थान को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

टिप्पणी: उपरोक्त सुविधाएं न्यूनतम आवश्यकता वाली सुविधाएं मानी जाती हैं तथा संस्थानों को उक्त पैरा 6.2 से 6.4 में निर्दिष्ट अधिक से अधिक सुविधाएं जुटानी होंगी।

7. प्रबन्धन समिति: संस्थान में एक प्रबन्धन समिति होगी जो संबद्धकारी विश्वविद्यालय अथवा संबधित राज्य सरकार, यदि कोई हो, के नियमानुसार गठित की जाएगी। ऐसे नियमों के न होने पर संस्थान स्वयं प्रबन्धन समिति का गठन करेगा। इस समिति में परियोजक सोसायटी अथवा न्यास के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद, संबद्धकारी विश्वविद्यालय एवं स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

7(क) इस विनियम के अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तर में किसी प्रकार का विवाद या असंगति होने की स्थिति में विनियम का अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

संजय अवस्थी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./04/19]

टिप्पणी: प्रमुख विनियम भारतीय राजपत्र, के भाग III, खंड 4 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 51-1/2014-एनसीटीई(एनएंडएस) द्वारा 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हुए थे तथा उसके बाद दिनांक 22.11.2018 की अधिसूचना संख्या एनसीटीई-रेगु. 011/80/2018-एमएस (रेगुलेशन)-एचक्यू द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

F. No. NCTE-Reg.l011/80/2018-MS(Regulation)-HQ.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:-

1. Short title and Commencement – (1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2014 for APPENDIX – 16 and APPENDIX – 17, the following APPENDIXES shall be substituted namely:-

APPENDIX-16

Pre-Primary to Primary

(Arts Stream and Science Stream)

Norms and Standards for Four Years Integrated Teacher Education Programme

1. Preamble:

1.1 The four years Integrated Teacher Education Programme (ITEP) Arts Stream and Science Stream is offered after Senior Secondary (+2) and aims at preparing committed, responsible and professional teachers. This programme is intended to result in a paradigm shift in teacher preparation. The curriculum of this four-year integrated programme is designed inculcating the world's best practices in the field of teacher education sector. This is a specialised course with intrinsic integration of pedagogy and content, along with sustained engagement with liberal disciplines of knowledge and field of education. Opportunity for vertical mobility is visualised through this programme.

This programme integrates general studies comprising Mathematics and Science, Social Sciences and Humanities and also professional studies comprising perspectives in education, other core education courses, curriculum and pedagogy of school subjects and practicum related to the tasks and functions of a school teacher. It maintains a balance between theory and practice and ensures coherence and integration among the various components of the programme. It is expected to equip the aspirant school teacher with the requisite attitude, skill and knowledge to address the challenges of becoming an effective school teacher.

1.2 The Integrated Teacher Education Programme (ITEP) shall be located in multi and inter disciplinary academic environment which means a duly recognised higher education institution offering under graduate or post graduate programmes of study in the field of liberal arts or humanities or social sciences or sciences or commerce or mathematics as the case may be.

1.3 The time limits prescribed for inviting and processing of applications as provided in sub-regulations (5) and (6) of regulation 5 of the principal regulations shall be adhered to: if it is considered necessary that the time limits provided that sub-regulations (5) and (6) of regulation 5 may be relaxed after due consideration and after obtaining approval of the Central Government.

2. Duration and Working Days:**2.1 Duration:**

The Integrated Teacher Education Programme (Arts and Science streams) shall be of four academic years comprising eight semesters including internship (field-based experiences and practice teaching). Any Student-teacher who is unable to complete any semester or appear in any semester-end examination, shall be permitted to complete the programme within a maximum period of six years from the date of admission to the programme.

2.2 Working Days:

- (a) In a semester, there shall be at least 125 (one hundred and twenty-five) working days, excluding the period of admissions but including the period of examinations.
- (b) Total working hours shall be a minimum of 40 (forty) hours to be spread over one week.
- (c) The minimum attendance of student-teachers shall have to be eighty percent in all courses and ninety percent for field-based experience or school internship or teaching practice separately.

3. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees:**3.1 Intake:**

- (a) The basic unit shall comprise of fifty students each in the programme.
- (b) The institution shall be permitted to opt for units of either Arts stream or Science stream, or both, in case the institution is eligible for more than one unit.

3.2 Eligibility:

- (a) Candidates with formal education from a 'School' as defined in **clause (n) of section 2 of the Right to Education Act, 2009**, with at least fifty per cent marks in Senior Secondary or plus two examination or its equivalent, are eligible for admission.

(b) The relaxation in percentage of marks in the Senior Secondary or plus two examination or its equivalent examination and in the reservation for Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class or Persons with Disabilities and any other categories shall be as per the rules of the Central Government or State Government or Union Territory Administration, wherever applicable.

3.3 Admission Procedure:

(a) Admission shall be made on merit basis, considering marks obtained at Senior Secondary or plus two level or equivalent examination or in an entrance examination, or any other selection process as per the policy of the University or State Government or Union Territory Administration.

(b) At the time of admission to the programme, the candidate must indicate the subject in which he or she proposes to take the B.A or B.Sc. Degree. Admissions shall be on the basis of order of merit and availability of seats. Any change in the choice of subjects shall be made within one month from the date of commencement of the programme.

3.4 Fees:

The institution shall charge only such fee as may be prescribed by the affiliating body or State Government or concerned Universities in accordance with provisions of the National Council for Teacher Education (NCTE) (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002 and shall not charge donations, capitation fee, etc. from the students.

4. Curriculum and Programme Implementation:

The curriculum and the implementation of the programme shall be based on the model curriculum developed by the NCTE. However, different universities and colleges conducting this programme are allowed upto 30% flexibility while adapting or modifying the model curriculum as per local requirements. However, NCTE reserves the right to validate any modifications to the curriculum so adapted or modified at any stage, if felt necessary.

5. Staff :

5.1 Faculty:

For an intake of one basic unit of fifty students and two units of one hundred students, faculty shall be recruited for the curricular areas, with the specified essential and desirable qualifications and specialisation. Additional faculty shall be appointed subject to provisions that the faculty requirements for the curricular areas mentioned below are fulfilled.

The distribution of minimum faculty across different curricular areas for one unit and two units of ITEP (Pre-Primary to Primary) for Science Stream shall be as under:

S.No.	Designation	For one unit	For two units
1.	Head of the Department in the rank of Professor or Associate Professor in Education	One	One
2.	Assistant Professor- in Liberal Discipline and Pedagogy or Educational Studies	(i) Maths -One (ii) Physics -One (iii) Chemistry -One (iv) Zoology or Life Sciences or Bio-Science - One (v) Botany or Life Sciences or Bio-Science -One (vi) Communicative Skills in	(i) Maths -Two (ii) Physics -Two (iii) Chemistry - Two (iv) Zoology or Life Sciences or Bio-Science - Two (v) Botany or Life Sciences or Bio-Science -Two (vi) Communicative Skills in

		English -One (vii) Communicative Skills in Modern Indian Languages or Classical Languages -One (viii) Educational Studies -Two	English -One (vii) Communicative Skills in Modern Indian Languages or Classical Languages -One (viii) Educational Studies -Three
3.	Health and Physical Education	One (Part-time)	One (Part-time)
4.	Arts Education	One (Part-time)	One (Part-time)
5.	Career Guidance, and Counselling	One Counsellor (Part-time)	One Counsellor (Part-time)

The distribution of minimum faculty across different curricular areas for one unit and two units of the Integrated Teacher Education Programme (Pre-primary to Primary) for Arts Stream shall be as under:

S.No.	Designation	For one unit	For two units
1.	Head of the Department in the rank of Professor or Associate Professor in Education	One	One
2.	Assistant Professor- in Liberal Discipline Pedagogy or Educational Studies.	(i) History -One (ii) Geography -One (iii) Political Science -One (iv) Economics -One (v) English or Hindi or Modern Indian Languages -One (vi) Communicative Skills in English -One (vii) Communicative Skills in Modern Indian Languages or Classical Languages -One (viii) Educational Studies -Two	(i) History -Two (ii) Geography -Two (iii) Political Science -Two (iv) Economics -Two (v) English or Hindi or Modern Indian Languages -Two (vi) Communicative Skills in English -One (vii) Communicative skills in Modern Indian Languages or Classical Languages -One (viii) Educational Studies -Three
3.	Health and Physical Education	One (Part-time)	One (Part-time)
4.	Art Education	One (Part-time)	One (Part-time)
5.	Career Guidance and Counselling	One Counsellor (Part-time)	One Counsellor (Part-time)

For additional units over and above two units, the faculty requirement shall be as under :-

- (i) (a) For three units, the requirement of faculty shall be increased by the exact number of faculty as is prescribed for one single unit (except Head of the Department).

- (b) For four units, the faculty requirement is exactly double of the faculty requirement for two units (except Head of the Department).
- (ii) The above is the minimum essential core faculty to be appointed for the programme. However, the services of existing faculty in the institution could also be utilised for this teacher education programme if he/she possesses the prescribed qualification. Furthermore, any extra number of faculty may be appointed, over and above the minimum number prescribed for this programmes.
- (iii) Faculty for health and physical education may be shared, if available, in the institution or otherwise may be recruited part-time.
- (iv) The Counsellor engaged for the purpose shall either be an Assistant Professor in Education having guidance and counselling as one of the papers in M.Ed. or a part time Counsellor with an appropriate qualification in guidance and counselling.

5.2 Qualifications:

The faculty shall possess the following qualifications:-

A. Professor in Education or Associate Professor in Education (as Head of the Department):

- (i) Postgraduate degree in Sciences or Mathematics or Social Sciences or Commerce or Languages.
- (ii) M.Ed.
- (iii) Ph.D. in Education
- (iv) Ten years of teaching experience in a teacher education institution for Professor and eight years for Associate Professor.
- (v) Any other relevant qualification prescribed by the University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

Diploma or Degree in Educational Administration or Leadership.

B. Assistant Professor –in Liberal Discipline and Pedagogy:

- (i) Post-Graduate degree in Sciences (Physics or Chemistry or Botany or Zoology or Life Sciences or Bio-Science) or Mathematics or Social Sciences (History or Geography or Political Science or Economics) or Languages (English or Modern Indian Languages or Classical Languages) with minimum fifty-five per cent marks.
- (ii) B.Ed. degree with minimum fifty-five per cent marks or equivalent grade.
- (iii) National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or Doctor of Philosophy in Education or in the concerned subject as prescribed by the University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

- (i) M.Ed. or M.Ed. with specialisation in Elementary Education
- (ii) Ph.D in Education.

C. Assistant Professor in Educational Studies:

- (i) Postgraduate degree in Education (M.Ed.) with minimum fifty-five per cent marks or equivalent grade

- (ii) With National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or Doctor of Philosophy in Education or any other qualification prescribed by University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

- (i) Master's degree in Psychology or Philosophy or Sociology or their allied subjects.

D. Specialised Courses:

Physical Education:

- (i) Master of Physical Education (M.P.Ed.) with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade

Art Education:

- (i) Postgraduate degree in Performing or Visual Arts with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade.

5.3 Administrative and Professional Staff:

- | | | | |
|-----|---|---|-----|
| (a) | Assistant Librarian | - | One |
| (b) | Computer Lab Assistant | - | One |
| (c) | Data Entry Operator (DEO) | - | One |
| (d) | Multi Tasking Staff (MTS) | - | One |
| (e) | Other Administrative and professional staff working for existing Departments shall be shared. | | |

Note :

- All the above staff can be shared with existing courses.
- The qualifications shall be as prescribed by the State Government or University or affiliating body for equivalent posts.

5.4 Terms and Conditions of Service of Staff: The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, level in pay matrix, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the Central Government or State Government or affiliating body or University.

6. Infrastructural Facilities:

The following facilities shall be for one unit. However, for every additional unit the facilities shall increase proportionately:-

6.1 Land and Building:

- The minimum essential space for an institution offering the Integrated Teacher Education Programme includes an administrative wing, an academic wing and other amenities. All spaces should be inclusive and have barrier free access.
- The institution shall earmark 3000 sq. mts (three thousand square metres) land for the initial intake of fifty students and 2000 sq m (two thousand square metres) of built up area and the remaining space for lawns, playfields etc.
- For every additional unit of fifty students, it shall earmark minimum built up area of 200 sq m (two hundred square metres).
- A minimum number of four toilet blocks shall be earmarked by the Institution, two for students (one each for women and men) and two for staff members, including persons with disabilities. One common handwashing station, with four taps, in an open area shall be provided.

6.2 Instructional Facilities:

(a) **Classrooms:** The Institution shall have six earmarked classrooms for one unit with an area of 50 sq. mt. (five hundred square meter) for each classroom and for two units or more the number of classrooms shall be increased proportionately.

(b) Library:

(i) The library shall cater to the requirements of the programme and shall have a seating capacity for at least fifty persons equipped with minimum 1000 (one thousand) titles and 4000 (four thousand) books. These include text and reference books related to all courses of study, readings and literature related with the approaches delineated in the programme; educational encyclopedias, electronic publications (CD ROMs) and digital or online resources and minimum five referral professional research journals. The institutions shall create digital library with relevant and adequate resource materials.

(ii) Library resources shall include books and journals published and recommended by National Council for Teacher Education, National Council of Educational Research and Training and other statutory bodies, Education Commission Reports and Policy documents. At least one hundred titles of quality books shall be added to the library every year. The library shall have photocopying facility and computer with Internet facility for the use of faculty and students.

(c) **Laboratories:** Laboratories for Science stream subjects such as Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology and Botany shall be earmarked with facilities and adequate equipments for conducting experiments. In humanities stream, a laboratory for Geography shall be made available.

(d) Activity cum Resource Centre:

(i) The space so designated shall be used for conducting various activities like craft, educational toys, teaching aids and production of teaching and learning materials, etc.

(ii) This resource centre will be equipped with facilities such as photocopying machine, audio video equipments, television, projector etc.

(iii) A Computer and Language Lab shall be established in this Centre.

(e) **Health and Physical Education Room:** Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games, as well as facilities for yoga education, shall be available.

(f) **Multipurpose Hall:** The institution shall have one earmarked hall with seating capacity of minimum two hundred seats and minimum total area of 2000 sq ft (Two thousand square feet). This hall shall be equipped for conducting seminars and workshops with installation of an audio-visual system.

(g) **Faculty Rooms:** For faculty, individual work spaces, functional computers and storage spaces shall be provided.

(h) **Administrative Office Space:** The institution shall provide adequate working space for the office staff, with furniture, storage and computer facilities.

(i) **Common Room:** The institution shall provide at least one common room.

(j) **Store :** One room with adequate space for storage shall be provided.

(k) Functional and appropriate furniture for general and differently abled persons in required number for instructional and other purposes shall be provided.

(l) Access to safe drinking water be provided in the institution.

(m) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

(n) Kitchen garden in the institution be developed and maintained by the student-teachers in order to learn concepts.

6.3 The existing physical resources in other Departments or Universities or Colleges can be shared with this programme, if it fulfils the requirement of the teacher education programme except

classrooms, laboratories, activity cum resource centre and multi purpose hall which shall be earmarked.

Desirable:

- (a) It would be desirable to have rain water harvesting system and infrastructure for renewable energy such as solar panels for electricity.
- (b) Facilities for extracurricular activities of choice.

6.4 The institution must adhere to safety guidelines as prescribed by National Disaster Management Authority (NDMA).

Note : The above facilities are considered to be the minimum required and the institutions are encouraged to have facilities over and above those specified in para 6.2 to 6.4.

7. Managing Committee: The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating University or concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise of the representatives of the sponsoring society or trust, physical educationists, representatives of the affiliating University and of the staff.

7 A In the event of any conflict or inconsistency between English and Hindi version of the regulation, the regulation in English version shall prevail.

APPENDIX-17

Upper-Primary to Secondary

(Arts Stream and Science Stream)

Norms and Standards for Four Years Integrated Teacher Education Programme

1. Preamble:

1.1 The four years Integrated Teacher Education Programme (ITEP) Arts Stream and Science Stream is offered after Senior Secondary (+2) and aims at preparing committed, responsible and professional teachers. This programme is intended to result in a paradigm shift in teacher preparation. The curriculum of this four-year integrated programme is designed inculcating the world's best practices in the field of teacher education sector. This is a specialised course with intrinsic integration of pedagogy and content, along with sustained engagement with liberal disciplines of knowledge and field of education. Opportunity for vertical mobility is visualised through this programme.

This programme integrates general studies comprising Mathematics and Science, Social Sciences and Humanities and also professional studies comprising perspectives in education, other core education courses, curriculum and pedagogy of school subjects and practicum related to the tasks and functions of a school teacher. It maintains a balance between theory and practice and ensures coherence and integration among the various components of the programme. It is expected to equip the aspirant school teacher with the requisite attitude, skill and knowledge to address the challenges of becoming an effective school teacher.

1.2 The Integrated Teacher Education Programme (ITEP) shall be located in multi and inter disciplinary academic environment which means a duly recognised higher education institution offering under graduate or post graduate programmes of study in the field of liberal arts or humanities or social sciences or sciences or commerce or mathematics as the case may be.

1.3 The time limits prescribed for inviting and processing of applications as provided in sub-regulations (5) and (6) of regulation 5 of the principal regulations shall be adhered to: if it is considered necessary that the time limits provided that sub-regulations (5) and (6) of regulation 5 may be relaxed after due consideration and after obtaining approval of the Central Government.

2. Duration and Working Days:

2.1 Duration:

The Integrated Teacher Education Programme (Arts and Science streams) shall be of four academic years comprising eight semesters including internship (field-based experiences and practice teaching). Any Student-teacher who is unable to complete any semester or appear in any semester-end examination, shall be permitted to complete the programme within a maximum period of six years from the date of admission to the programme.

2.2 Working Days:

- (a) In a semester, there shall be at least 125 (one hundred and twenty-five) working days, excluding the period of admissions but including the period of examinations.
- (b) Total working hours shall be a minimum of 40 (forty) hours to be spread over one week.
- (c) The minimum attendance of student-teachers shall have to be eighty percent in all courses and ninety percent for field-based experience or school internship or teaching practice separately.

3. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees:

3.1 Intake:

- (a) The basic unit shall comprise of fifty students each in the programme.
- (b) The institution shall be permitted to opt for units of either Arts stream or Science stream, or both, in case the institution is eligible for more than one unit.

3.2 Eligibility:

- (a) Candidates with formal education from a 'School' as defined in **clause (n) of section 2 of the Right to Education Act, 2009**, with at least fifty per cent marks in Senior Secondary or plus two examination or its equivalent, are eligible for admission.
- (b) The relaxation in percentage of marks in the Senior Secondary or plus two examination or its equivalent examination and in the reservation for Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class or Persons with Disabilities and any other categories shall be as per the rules of the Central Government or State Government or Union territory administration, wherever applicable.

3.3 Admission Procedure:

- (a) Admission shall be made on merit basis, considering marks obtained at Senior Secondary or plus two level or equivalent examination or in an entrance examination, or any other selection process as per the policy of the University or State Government or Union Territory Administration.
- (b) At the time of admission to the programme, the candidate must indicate the subject in which he or she proposes to take the B.A or B.Sc. Degree. Admissions shall be on the basis of order of merit and availability of seats. Any change in the choice of subjects shall be made within one month from the date of commencement of the programme.

3.4 Fees:

The institution shall charge only such fee as may be prescribed by the affiliating body or State Government or concerned Universities in accordance with provisions of the National Council for Teacher Education (NCTE) (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002 and shall not charge donations, capitation fee, etc. from the students.

4. Curriculum and Programme Implementation:

The curriculum and the implementation of the programme shall be based on the model curriculum developed by the NCTE. However, different universities and colleges conducting this programme are allowed upto 30% flexibility while adapting or modifying the model curriculum as per local requirements. However, NCTE reserves the right to validate any modifications to the curriculum so adapted or modified at any stage, if felt necessary.

5. Staff :**5.1 Faculty:**

For an intake of one basic unit of fifty students and two units of one hundred students, faculty shall be recruited for the curricular areas, with the specified essential and desirable qualifications and specialisation. Additional faculty shall be appointed subject to provisions that the faculty requirements for the curricular areas mentioned below are fulfilled.

The distribution of minimum faculty across different curricular areas for one unit and two units of ITEP (Upper Primary to Secondary) for Science Stream shall be as under:

S.No.	Designation	For one unit	For two units
1.	Head of the Department in the rank of Professor or Associate Professor in Education	One	One
2.	Assistant Professor- in Liberal Discipline and Pedagogy or Educational Studies	(i) Maths -One (ii) Physics -One (iii) Chemistry -One (iv) Zoology or Life Sciences or Bio-Science - One (v) Botany or Life Sciences or Bio-Science -One (vi) Communicative Skills in English -One (vii) Communicative skills in Modern Indian Languages or Classical Languages -One (viii) Educational Studies -Two	(i) Maths -Two (ii) Physics -Two (iii) Chemistry -Two (iv) Zoology or Life Sciences or Bio-Science -Two (v) Botany or Life Sciences or Bio-Science -Two (vi) Communicative Skills in English -One (vii) Communicative skills in Modern Indian Languages or Classical Languages -One (viii) Educational Studies -Three
3.	Health and Physical Education	One (Part-time)	One (Part-time)
4.	Arts Education	One (Part-time)	One (Part-time)
5.	Career Guidance and Counselling	One Counsellor (Part-time)	One Counsellor (Part-time)

The distribution of minimum faculty across different curricular areas for one unit and two units of the Integrated Teacher Education Programme (Upper Primary to Secondary) for Arts Stream shall be as under:

S.No.	Designation	For one unit	For two units
1.	Head of the Department in the rank of Professor or Associate Professor in Education	One	One
2.	Assistant Professor- in Liberal Discipline Pedagogy or Educational Studies.	(i) History -One (ii) Geography -One (iii) Political Science -One (iv) Economics -One	(i) History -Two (ii) Geography -Two (iii) Political Science -Two (iv) Economics -Two

		(v) English or Hindi or Modern Indian Languages -One (vi) Communicative Skills in English -One (vii) Communicative skills in Modern Indian Languages or Classical Languages -One (viii) Educational Studies -Two	(v) English or Hindi or Modern Indian Languages -Two (vi) Communicative Skills in English -One (vii) Communicative skills in Modern Indian Languages or Classical Languages -One (viii) Educational Studies -Three
3.	Health and Physical Education	One (Part-time)	One (Part-time)
4.	Art Education	One (Part-time)	One (Part-time)
5.	Career Guidance and Counselling	One Counsellor (Part-time)	One Counsellor (Part-time)

For additional units over and above two units, the faculty requirement shall be as under :-

- (i) (a) For three units, the requirement of faculty shall be increased by the exact number of faculty as is prescribed for one single unit (except Head of the Department).
- (b) For four units, the faculty requirement is exactly double of the faculty requirement for two units (except Head of the Department).
- (ii) The above is the minimum essential core faculty to be appointed for the programme. However, the services of existing faculty in the institution could also be utilized for this teacher education programme if he/she possesses the prescribed qualification. Furthermore, any extra number of faculty may be appointed, over and above the minimum number prescribed for this programmes.
- (iii) Faculty for health and physical education may be shared, if available, in the institution or otherwise may be recruited part-time.
- (iv) The Counsellor engaged for the purpose shall either be an Assistant Professor in Education having guidance and counselling as one of the papers in M.Ed. or a part time Counsellor with an appropriate qualification in guidance and counselling.

5.2 Qualifications:

The faculty shall possess the following qualifications:-

A. Professor in Education or Associate Professor in Education (as Head of the Department):

- (i) Postgraduate degree in Sciences or Mathematics or Social Sciences or Commerce or Languages.
- (ii) M.Ed.
- (iii) Ph.D. in Education
- (iv) Ten years of teaching experience in a teacher education institution for Professor and eight years for Associate Professor.
- (v) Any other relevant qualification prescribed by the University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

Diploma or Degree in Educational Administration or Leadership.

B. Assistant Professor—in Liberal Discipline and Pedagogy:

- (i) Post-Graduate degree in Sciences (Physics or Chemistry or Botany or Zoology or Life Sciences or Bio-Science) or Mathematics or Social Sciences (History or Geography or Political Science or Economics) or Languages (English or Modern Indian Languages or Classical Languages) with minimum fifty-five percent marks.

- (ii) B.Ed. degree with minimum fifty-five percent marks or equivalent grade.
- (iii) National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or Doctor of Philosophy in Education or in the concerned subject as prescribed by the University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

- (i) M.Ed. or M.Ed. with specialisation in Elementary Education
- (ii) Ph.D in Education.

C. Assistant Professor in Educational Studies:

- (i) Postgraduate degree in Education (M.Ed.) with minimum fifty-five percent marks or equivalent grade
- (ii) With National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or Doctor of Philosophy in Education or any other qualification prescribed by University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

- (i) Master's degree in Psychology or Philosophy or Sociology or their allied subjects.

D. Specialised Courses:**Physical Education:**

- (i) Master of Physical Education (M.P.Ed.) with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade

Art Education:

- (i) Postgraduate degree in Performing or Visual Arts with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade.

5.3 Administrative and Professional Staff:

- | | | |
|---|---|-----|
| (a) Assistant Librarian | - | One |
| (b) Computer Lab Assistant | - | One |
| (c) Data Entry Operator (DEO) | - | One |
| (d) Multi Tasking Staff (MTS) | - | One |
| (e) Other Administrative and professional staff working for existing Departments shall be shared. | | |

Note :

1. All the above staff can be shared with existing courses.
2. The qualifications shall be as prescribed by the State Government or University or affiliating body for equivalent posts.

5.4 Terms and Conditions of Service of Staff: The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, level in pay matrix, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the Central Government or State Government or affiliating body or University.

6. Infrastructural Facilities:

The following facilities shall be for one unit. However, for every additional unit the facilities shall increase proportionately:-

6.1 Land and Building:

- (a) The minimum essential space for an institution offering the Integrated Teacher Education Programme includes an administrative wing, an academic wing and other amenities. All spaces should be inclusive and have barrier free access.
- (b) The institution shall earmark 3000 sq. mts (three thousand square metres) land for the initial intake of fifty students and 2000 sqm (two thousand square metres) built up area and the remaining space for lawns, playfields etc.

- (c) For every additional unit of fifty students, it shall earmark minimum built up area of 200 sqm (two hundred square metres).
- (d) A minimum number of four toilet blocks shall be earmarked by the Institution, two for students (one each for women and men) and two for staff members, including persons with disabilities. One common handwashing station, with four taps, in an open area shall be provided.

6.2 Instructional Facilities:

(a) Classrooms: The Institution shall have six earmarked classrooms for one unit with an area of 50 sq. mt. (fifty square meters) for each classroom and for two units or more the number of classrooms shall be increased proportionately.

(b) Library:

- (i) The library shall cater to the requirements of the programme and shall have a seating capacity for at least fifty persons equipped with minimum 1000 (one thousand) titles and 4000 (four thousand) books. These include text and reference books related to all courses of study, readings and literature related with the approaches delineated in the programme; educational encyclopedias, electronic publications (CD ROMs) and digital or online resources and minimum five referral professional research journals. The institutions shall create digital library with relevant and adequate resource materials.
- (ii) Library resources shall include books and journals published and recommended by National Council for Teacher Education, National Council of Educational Research and Training and other statutory bodies, Education Commission Reports and Policy documents. At least one hundred titles of quality books shall be added to the library every year. The library shall have photocopying facility and computer with Internet facility for the use of faculty and students.

(c) Laboratories: Laboratories for Science stream subjects such as Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology and Botany shall be available with facilities and adequate equipments for conducting experiments. In humanities stream, a laboratory for Geography shall be earmarked.

(d) Activity cum Resource Centre:

- (i) The space so designated shall be used for conducting various activities like craft, educational toys, teaching aids and production of teaching and learning materials, etc. .
- (ii) This resource centre will be equipped with facilities such as photocopying machine, audio video equipments, television, projector etc.
- (iii) A Computer and Language Lab shall be established in this Centre.

(e) Health and Physical Education Room: Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games, as well as facilities for yoga education, shall be available.

(f) Multipurpose Hall: The institution shall have one hall with seating capacity of minimum two hundred seats and minimum total area of 2000 sq ft (Two thousand square feet). This hall shall be equipped for conducting seminars and workshops with installation of an audio-visual system.

(g) Faculty Rooms: For faculty, individual work spaces, functional computers and storage spaces shall be provided.

(h) Administrative Office Space: The institution shall provide adequate working space for the office staff, with furniture, storage and computer facilities.

(i) Common Room: The institution shall provide at least one common room.

(j) Store : One room with adequate space for storage shall be provided.

(k) Functional and appropriate furniture for general and differently abled persons in required number for instructional and other purposes shall be provided.

- (l) Access to safe drinking water be provided in the institution.
- (m) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.
- (n) Kitchen garden in the institution be developed and maintained by the student-teachers in order to learn concepts.

6.3 The existing physical resources in other Departments or Universities or Colleges can be shared with this programme, if it fulfills the requirement of the teacher education programme except class rooms, laboratories, activity cum resource centre, and multipurpose hall, which shall be earmarked.

Desirable:

- (a) It would be desirable to have rain water harvesting system and infrastructure for renewable energy such as solar panels for electricity.
- (b) Facilities for extracurricular activities of choice.

6.4 The institution must adhere to safety guidelines as prescribed by National Disaster Management Authority (NDMA).

Note : The above facilities are considered to be the minimum required and the institutions are encouraged to have facilities over and above those specified in para 6.2 to 6.4.

7. **Managing Committee:** The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating University or concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise of the representatives of the sponsoring society or trust, physical educationists, representatives of the affiliating University and of the staff.

7 A In the event of any conflict or inconsistency between English and Hindi version of the regulation, the regulation in English version shall prevail”.

SANJAY AWASTHI, Member Secretary

[ADVT.-III/4/Exty./04/19]

Note : The principal Regulations were published in the Gazette of India Part III, Section 4 dated the 1st December 2014 vide notification number F. 51-1/2014-NCTE(N&S) and lastly amended vide notification number NCTE-Regl011/80/2018-MS(Regulation)-HQ dated 22nd November, 2018.